अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 50/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

कोमल पुत्री श्री दिलीप पासवान, निवासी रैगरो का बडा मौहल्ला, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. भौरी देवी पत्नी स्व॰ श्री सीताराम, निवासी रैगरो का बडा मोहल्ला, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 27.09.2024 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 42/2024 ब उनवानी भौरी देवी बनाम कोमल व अन्य ।

उपस्थितः–
1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 09.10.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 42/2024 ब उनवानी भौरी देवी बनाम कोमल में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2024 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 17657/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2024 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया एवं अपीलार्थिया के माता पिता एवं भाई को पक्षकार बनाया गया है। अपीलार्थिया के माता–पिता एवं भाई अपने निवास स्थान बिहार में रहते हैं, जो वर्तमान में भी वही निवास कर रहे है। प्रत्यर्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहू व अपने संबंधी को पक्षकार बनाया जाकर परिवाद पेश किया गया था। माता–पिता एवं वरिष्ठ

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियम–2010 की धारा–4 की उपधारा–4 के तहत इस अधिनियम में सास बहू के विरूद्ध मुकदमा पेश नहीं कर सकती है। प्रत्यर्थिया की जाईन्दा संतान में दो पुत्र चेतन व रवि नोगिया एवं एक पुत्री मीना देवी है जो वर्तमान में जिवित है एवं सभी का विवाह हो गया है और पूर्ण रूप से सम्पन्न है तथा अपनी माता का भरण पोषण करने में सक्षम है, लेकिन प्रत्यर्थिया द्वारा वदनियतिपूर्ण तरीके से अपनी संतानो के खिलाफ भरण पोषण का केस नही किया गया बल्कि अपनी बहू एवं बहू के परिवारजनों के विरूद्ध पेश किया है। प्रत्यर्थिया अपीलार्थिया को घर से बेदखल करने की गरज से अपने पुत्र के कहे अनुसार झूंठा मुकदमा निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया। प्रत्यर्थिया के द्वारा उक्त सम्पति जो कि रैगरो का बडा मोहल्ला, सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसको प्रत्यर्थिया द्वारा स्वयं की होना बता रहीं है, जबकि उक्त सम्पत्ति प्रत्यर्थिया के ससुर स्व॰ श्री सीताराम जी नोगिया की कब्जेशुदा पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसका उनकी मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थिया ने अपने नाम से नगर निगम सांगानेर जयपुर के द्वारा पट्टा जारी करवा लिया था। प्रत्यर्थिया के पति के तीन संतान जिसमें दो पुत्र एवं एक पुत्री है। इस प्रकार उक्त सम्पति पुश्तैनी होने के कारण प्रत्यर्थिया को 1/4 हिस्सा निहित है। अपीलार्थिया प्रत्यर्थिया के छोटे पुत्र श्री रवि कुमार नोगिया की धर्मपत्नी है तथा रवि कुमार उक्त सम्पति में 1/4 हिस्से का मालिक है तथा इस हैसियत से अपीलार्थिया अपने पति के 1/4 हिस्से की मालकिन है और उसी अनुसार अपने पति के हिस्से में स्थित एक कमरे, किचन लेट बाथ पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती आ रही है। संयुक्त परिवार की सम्पति में अपीलार्थिया को बेदखल करने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त वर्णित सम्पति में प्रत्यर्थिया का बडा पुत्र अपने परिवार सहित निवास कर रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलार्थिया को ही बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है जो की प्रत्यर्थिया की दूषित मानसिकता को साफ जाहिर करता है। प्रत्यर्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद अपने पुत्र रवि नोगिया के कहने पर पेश किया है क्योंकि रवि नोगिया व अपीलार्थिया के मध्य पारिवारिक विवाद चल रहा है उसके कारण से प्रत्यर्थिया ने अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष परिवाद पेश किया है। प्रत्यर्थिया स्वयं मालपुरा गेट, सांगानेर, जिला जयपुर में फैन्सी स्टोर की दुकान करती है जिससे प्रतिमाह 50,000/–रूपये की आय प्राप्त करती है साथ ही राज्य सरकार की योजना के तहत विधवा पेंशन व वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त करती है साथ ही बीपीएल की सम्पूर्ण सुविधा भी प्राप्त करती है, एवं उक्त पुशतैनी मकान में 4 कमरे किराये पर दे रखे है जिससे 16,000/–रूपये मासिक किराया प्राप्त कर रही है जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रत्यर्थिया अपना भरण पोषण करने में स्वयं सक्षम है। अपीलार्थिया के पास कमाई को स्त्रोत नहीं है। अपीलार्थिया का पति भी उसके साथ नहीं रहता है ना ही उसको खाना खर्चा देता है जिससे अपीलार्थिया का जीवन यापन करना भी मुश्किल होता है। प्रत्यर्थिया द्वारा द्वेषतापूर्ण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय विधि में सुस्थापित सिद्वान्तों पर कोई गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थिया की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियम--2010 की धारा–4 की उपधारा–4 के तहत इस अधिनियम में सास बहू के विरूद्ध मुकदमा पेश नहीं कर सकती है। प्रत्यर्थिया की जाईन्दा संतान में दो पुत्र चेतन व रवि नोगिया एवं एक पुत्री मीना देवी है जो वर्तमान में जिवित है एवं सभी का विवाह हो गया है और पूर्ण रूप से सम्पन्न है तथा अपनी माता का भरण पोषण करने में सक्षम है. लेकिन प्रत्यर्थिया द्वारा बदनियतिपूर्ण तरीके से अपनी संतानो के खिलाफ भरण पोषण का केस नही किया गया बल्कि अपनी बहू एवं बहू के परिवारजनों के विरूद्ध पेश किया है। प्रत्यर्थिया अपीलार्थिया को घर से बेदखल करने की गरज से अपने पुत्र के कहे अनुसार झूंठा मुकदमा निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया। प्रत्यर्थिया के द्वारा उक्त सम्पति जो कि रैगरो का बडा मोहल्ला, सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसको प्रत्यर्थिया द्वारा स्वयं की होना बता रहीं है, जबकि उक्त सम्पत्ति प्रत्यर्थिया के ससुर स्व॰ श्री सीताराम जी नोगिया की कब्जेशुदा पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसका उनकी मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थिया ने अपने नाम से नगर निगम सांगानेर जयपुर के द्वारा पट्टा जारी करवा लिया था। प्रत्यर्थिया के पति के तीन संतान जिसमें दो पुत्र एवं एक पुत्री है। इस प्रकार उक्त सम्पति पुश्तैनी होने के कारण प्रत्यर्थिया को 1/4 हिस्सा निहित है। अपीलार्थिया प्रत्यर्थिया के छोटे पुत्र श्री रवि कुमार नोगिया की धर्मपत्नी है तथा रवि कुमार उक्त सम्पति में 1/4 हिस्से का मालिक है तथा इस हैसियत से अपीलार्थिया अपने पति के 1/4 हिस्से की मालकिन है और उसी अनुसार अपने पति के हिस्से में स्थित एक कमरे, किचन लेट बाथ पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती आ रही है। संयुक्त परिवार की सम्पति में अपीलार्थिया को बेदखल करने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त वर्णित सम्पति में प्रत्यर्थिया का बडा पुत्र अपने परिवार सहित निवास कर रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलार्थिया को ही बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है जो की प्रत्यर्थिया की दूषित मानसिकता को साफ जाहिर करता है। प्रत्यर्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद अपने पुत्र रवि नोगिया के कहने पर पेश किया है क्योंकि रवि नोगिया व अपीलार्थिया के मध्य पारिवारिक विवाद चल रहा है उसके कारण से प्रत्यर्थिया ने अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष परिवाद पेश किया है। प्रत्यर्थिया स्वयं मालपुरा गेट, सांगानेर, जिला जयपुर में फैन्सी स्टोर की दुकान करती है जिससे प्रतिमाह 50,000/–रूपये की आय प्राप्त करती है साथ ही राज्य सरकार की योजना के तहत विधवा पेंशन व वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त करती है साथ ही बीपीएल की सम्पूर्ण सुविधा भी प्राप्त करती है, एवं उक्त पुशतैनी मकान में 4 कमरे किराये पर दे रखे है जिससे 16,000/–रूपये मासिक किराया प्राप्त कर रही है जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रत्यर्थिया अपना भरण पोषण करने में स्वयं सक्षम है। अपीलार्थिया के पास कमाई को स्त्रोत नहीं है। अपीलार्थिया का पति भी उसके साथ नहीं रहता है ना ही उसको खाना खर्चा देता है जिससे अपीलार्थिया का जीवन यापन करना भी मुश्किल होता है। प्रत्यर्थिया द्वारा द्वेषतापूर्ण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय विधि में सुस्थापित सिद्वान्तों पर कोई गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थिया की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये।

प्रत्यर्थिया अपीलार्थिया के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थिया एक विधवा, विकलांग बुजुर्ग महिला है। प्रत्यर्थिया के पुत्र रवि तथा अपीलार्थिया ने परिवारजनों की बिना सहमति के अपनी मनमर्जी से घर से भाग कर आर्य समाज में विवाह कर लिया था जिसके कारण समाज में प्रत्यर्थिया की घोर बदनामी हुई। प्रत्यर्थिया ने अपने पुत्र को अपनी पत्नी को अन्य जगह ले जा कर रहने के लिये कहा तो कोमल ने अन्य जगह जाकर रहने से मना कर दिया तथा यह कहा कि मैं इसी घर में रहूँगी। प्रत्यर्थिया के पुत्र रवि ने प्रत्यर्थिया को बताया कि उसने कोमल से विवाह उसकी सहायता करने के लिये कोमल के कहने से दिखावे का विवाह किया है, क्योंकि कोमल के माता–पिता उसका विवाह किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ कर रहे है तथा कोमल जो कि हमारे यहा बचपन से किराये से रह कर गई थी तथा जो रवि को अपने भाई की तरह मानती है उसने रवि से यह प्रार्थना की है मैं पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती हूं तथा इसके बाद ही मैं विवाह करूंगी, यदि कोमल के माता पिता ने जबरन विवाह कर दिया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जावेगा। प्रत्यर्थिया ने रवि व अपीलार्थिया की बातो पर विश्वास करते हुये अपीलार्थिया की पढ़ाई के लिये अपने भाई से 50,000/–रुपये उधार लाकर रवि व अपीलार्थिया को दिये जिसके बाद वह बिहार अपने भाई के पास चली गई तथा रवि भी अपीलार्थिया की पढ़ाई के लिये पैसे भेजने लगा जिससे प्रत्यर्थिया के घर में आर्थिक तंगी की नौबत आ गई और कर्जा होने लगा। प्रत्यर्थिया के पुत्र रवि ने जब कोमल को अधिक पैसा भेजे जाने से इन्कार किया तो वह वापिस घर आ गई तथा प्रत्यर्थिया एवं उसके पुत्र रवि के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलोच की और कहा कि आप लोग मेरी पढ़ाई के लिये पैसा नहीं दे सकते हो तो मुझे 20,00,000/–रुपये दे दो मैं रवि को तलाक दे दूंगी। प्रत्यर्थिया ने कोमल के माँ–बाप भाई को बुलाकर जब बात की तो उन्होंने प्रत्यर्थिया व उसके परिवार को यह धमकी दी कि हम बिहार के रहने वाले है, यदि अपने पुत्र का छुटकारा चाहते हो तो 20,00,000/–रुपये और अपना मकान हमे दे दो यह बात सुनकर प्रत्यर्थिया को बहुत दुख हुआ। प्रत्यर्थिया ने अपने पुत्र रवि तथा कोमल को तुरन्त घर छोड़ देने के लिये कहा तो कोमल ने यह कहा कि मेरा इस घर में हिस्सा है इसलिए मैं घर छोडकर नहीं जाऊंगी। प्रत्यर्थिया ने अपने पुत्र रवि व कोमल की हरकतों के कारण अपने पुत्र रवि को अपनी समस्त चल–अचल सम्पति से बेदखल कर दिया तथा इस बात की सूचना अखबार में प्रकाशित करवा दी। इसके बाद रवि घर छोडकर चला गया तथा वापस नहीं आया। अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थिया को हैरान व परेशान करने के लिये न्यायालय में झूंठे केस डालकर, झूंठे शपथ पत्र व साक्ष्य पेश करके गलत तरीके से खर्चा बनवा लिया तथा प्रत्यर्थिया के मकान के बेचान पर भी रोक लगवा दी। अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थिया के मकान एवं समस्त सुविधाओं का अवैध रूप से उपयोग करती है। अपीलार्थिया द्वारा अपने पति के बुलाये जाने पर भी उसके साथ जाकर नहीं रह रही है जबरन प्रत्यर्थिया के घर में ही रह रही है तथा न्यायालय से पति से खर्चा लेने के बाद भी घर के किसी भी खर्च में सहयोग नहीं देती है। अपीलार्थिया प्रत्यर्थिया व परिवार के अन्य सदस्यों से गाली गलौच, तिरस्कार व अपमान

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

या को ना तो समय पर भोजन देती है और बीमार होने पर उसकी चिकित्सा
नहीं करवाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं विधि
है। अपील खारिज फरमाई जावे।

की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का
अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

या द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण
कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 5 एवं 7 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी
वधु को अपने स्वामित्व की सम्पत्ति रैगरो का बडा मोहल्ला, सांगानेर, जिला जयपुर से
बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ अधिकरण की पत्रावली का अवलोकन पर
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 17, जयपुर महानगर–प्रथम मुख्यालय
सांगानेर के प्रकरण संख्या 110/2023 आदेश दिनांक 02.05.2023 द्वारा प्रत्यर्थिया को
ता–फैसला मूल वाद विवादित सम्पति की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने व
दीगर व्यक्ति को बेचान व हस्तान्तरित ना करने हेतु पाबन्द किया गया है। प्रत्यर्थिया द्वारा
स्व–अर्जित सम्पति के स्वामित्व संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ अधिकरण एवं अपीलीय
अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रत्यर्थिया द्वारा अधीनस्थ अधीकरण के समक्ष केवल
मात्र अपीलार्थिया को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है भरण पोषण सम्बन्ध में प्रत्यर्थिया
द्वारा को अनुतोष नहीं चाहा गया है।

त्यर्थिया द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष केवल अपनी पुत्र वधू एवं उसके परिवारजनो को
क्षकार बनाया गया। अपीलार्थिया प्रत्यर्थिया की पुत्र–वधू है जबकि माता–पिता एवं वरिष्ठ
ागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के अन्तर्गत भरण पोषण संतान से
ाप्त किया जा सकता है, अपीलार्थिया संतान की परिभाषा में नहीं आती है। माता–पिता एवं
रिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) इस प्रकार है–
A) Children Inculdes son, daughter, grandson and grand-daughter but dose not
clude a minor ; अर्थात इस अधिनियम के तहत वयस्क पुत्र, पुत्री, पौत्र व पौत्री के विरूद्व ही
विवाद लाया जा सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थिया स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ
धिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2024 को अपास्त किया जाता है।

देश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे।
देश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं
ल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर
क्रम हो कर शुमार फैसल हो।

देश आज दिनाक 09.10.2025 को सरे इजालास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner